

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 798 सन 2021

अन्याय :-

1. रान्तलाल पुत्र अभयराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र अभयराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद 'अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 120/115 की कुल 3.0360हैक भूमि दर्ज है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/3 ,1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वज अभयराम के नाम से दर्ज थी जो बाहमी बटवारा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रायुक्त खाते में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त एव सिंचाई सुविधा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी के हिस्से में आई जो वादी काश्त करता आ रहा है एव प्रतिवादी संख्या 1 को बाहमी बटवारा में अन्य चक में भूमि प्राप्त हुई जो वह काश्त करता आ रहा है व अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि काश्त करता आ रहा है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाये की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी का प्राप्त हुई है इसलिये वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के कब्जा काश्त मे है एवं वाद भूमि के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शागिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक वृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.बी.जे. 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक वृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सन्तलाल पुत्र अभयराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र अभयराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 798 सन 2021 निर्णय दिनांक- 07.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 120/115 की कुल 3.0360 हैक् भूमि दर्ज है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो 1/3 ,1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....परलीका